P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-5* ISSUE-3* June - 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

वसीयतः एक परिचय
Will an Introduction

Paper Submission: 15/06/2020, Date of Acceptance: 25/06/2020, Date of Publication: 30/06/2020

किशोरी लाल
असिस्टैंट प्रोफेसर
विधि संकाय
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

वसीयत या इच्छा पत्र या बिल से तात्पर्य है, जब कोई व्यक्ति अपनी सम्पति अपने जीवन काल तक अपने पास रखना चाहता है और मृत्योपरान्त किसी व्यक्ति विशेष में निहित करना चाहता है, तो वह ऐसा इच्छा पत्र द्वारा कर सकता है। वसीयत का विधि द्वारा स्थापित नियम यह है कि वसीयत कर्ता अपनी सम्पत्ति को अपनी मृत्योपरान्त वसीयत दार के पक्ष में अन्तरित करने का दृढ़ संकल्प अपने जीवन काल में ही कर लेता है और विश्वास करने लगता है कि उठतराधिकारी के स्थान पर वसीयतदार उसकी सम्पत्ति का अधिकारी होगा।

वसीयत का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम बेबीलोन एवं असीरिया में हुआ प्राचीन हिन्दू विधि के अन्तर्गत वसीयत का उल्लेख नहीं मिलता है। हिन्दू संयुक्त परिवार का नियम लागू था। किन्तु तदन्तर में विधि के विकास के साथ–साथ वसीयत को विधिक अधिकार प्रदान किया गया। हल्सबरीज लां आफ इंग्लैड के अनुसार : वसीयत एक तरीके से की गई घोषणा है जिससे वसीयत कर्ता मृत्यु के उपरांत अपनी सम्पत्ति को निस्तारित करने की इच्छा प्रकट करता है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 30 एक हिन्दू को वसीयत द्वारा सम्पूर्ण सम्पत्ति के निस्तारण करने की शक्ति प्रदान करती है। किसी वसीयत को मात्र इसी आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जा सकता कि उससे संशयात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, वसीयत के साक्षियों के बयान को पूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिएः टुकड़ों में नहीं वसीयत में हाशियें के गवाहों का साक्ष्यिक महत्व मात्र इस आधार पर समाप्त नहीं हो जाता कि वे सो सम्बन्धी हैं।

A will or will letter or bill means, when a person wishes to keep his property with him for the life of his life and vests in a particular person after his death, he can do so by will. The rule established by the law of the will is that the testator makes a determination to transfer his property in favor of the will after his death, only in his life time and begins to believe that the bequest will be the officer of his property in place of the heir. .

The existence of the will is not the first mention of the will under the ancient Hindu law in Babylon and Assyria. The rule of Hindu joint family was in force. But later, with the development of the law, the will was given legal rights. According to Halsbury's Land of England: a will is a declaration made by the will to express his desire to dispose of his property after death. Section 30 of the Hindu Succession Act 1956 empowers a Hindu to dispose of entire property by will. A will cannot be declared invalid merely on the basis that it is causing skeptical circumstances, the statement of the testamentary witnesses must be read in full: the evidence of marginal witnesses in the will not in pieces ends on this basis only It is not possible that they are related to sleep.

मुख्य शब्द : वसीयत मृत्योपरान्त, प्रतिसंहृत, उत्तराधिकारी : दस्तावेज, अनुप्रमाणन; निष्पादन, साक्ष्यिक पुष्टि, उपधारित; वसीयतनामा, वसीयतकर्ता,

प्रस्तावना

भारतीय मनीषीयों ने मनुष्य जीवन के मुख्य रूप से चार उद्देश्य बताये है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, भौतिक जीवन का प्राण द्रव्य अर्थ है अर्थ का पर्याय सम्पत्ति जिसमें चल और अचल सम्पत्ति सम्मिलित है। अचल सम्पत्ति एक व्यक्ति से दूसरे में अन्तरित होती रहती हैं। माध्यम दान, विक्रय वसीयत आदि कुछ भी हो सकता है।

'बिल अथवा वसीयत' से तात्पर्य है इच्छा–पत्र, अर्थात् जब कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति को अपने जीवन काल तक अपने पास रखना चाहता है और मृत्योपरान्त किसी व्यक्ति विशेष में निहित करना चाहता है तो वह ऐसा 'इच्छा पत्र' द्वारा कर सकता है। बिल सदैव वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद ही प्रभावी होता है। वसीयत एक ऐसा विलेख है जिसे अपने जीवन काल में वसीयतकर्ता प्रतिसंहत (Provoke) कर सकता है। चूँकि वसीयत के निार्माण का आधार सेवा सुश्रुषा एवं स्नेह होता है। इसलिए यदि वसीयत, वसीयतकर्ता के जीवनकाल में ही प्रभावी हो जाये तो इस भौतिकवादी युग में यह संभव है कि वसीयतकर्ता तदन्तर में उपेक्षा का शिकार हो जाये। इस विसंगति से बचने के लिए यह प्राविधान बनाया गया है कि वसीयतकर्ता अपनी इच्छाानुसार वसीयत को प्रतिसंहत (Revoke) भी कर सकता है।

साहित्यावलोकन

1. बनर्जी एवं अवस्थी–गाइड टु ड्राफ्टिंग
2. माइकल हाइबुड़–कन्वेचान्सिंग
3. विलियम एम.रोज–प्लीडिंग
4. जी0सी0मोघा एवं के0एन0 गोयल–भारतीय कन्वेचसिंग
5. के0के0श्रीवास्तव–लॉ आफ.प्लीडिंग ड्राफ्टिंग एण्ड कन्वेचान्सिंग
6. एन.एच. झाबवाला–ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग कन्वेचन्सिंग एण्ड प्रोफेशेनल एथिक्स
7. आर0डी0 श्रीवास्तव–द लॉ ऑफ पलीडिंग ड्राफ्टिंग एण्ड कन्वेन्सिंग
8. विलियम रोज–प्लीडिंग विधआउट टीयर्स

अध्ययन का उद्देश्य

वसीयतकर्ता वसीयत की रचना तब करता है जब वह चाहता है कि उसके उत्तराधिकारी उसकी सम्पदा के अधिकारी न हो।[1] वसीयत का विधि द्वारा स्थापित नियम यह है कि वसीयतकर्ता अपनी सम्पत्ति को अपनी मृत्योपरान्त वसीयतदार के पक्ष में अन्तरित करने का इस संकल्प अपने जीवन काल में ही कर लेता है और विश्वास करने लगता है कि उत्तराधिकारी के स्थान पर वसीयतदार उसके सम्पत्ति का अधिकाारी होगा।

वसीयत का प्रादुर्भाव

ऐसा माना जाता है कि वसीयत का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम बेबिलोन एवं असीरिया में हुआ वसीयत द्वारा सम्पत्ति के निस्तारण का विचार रोम के उत्प्रेरक सभ्य नागरिकों द्वारा रोम विजेताओ ंको अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए निकट सविदा द्वारा दिया गया दान था। इसी प्रकार सभ्य देशों में प्रचलित विधि द्वारा सम्पत्ति के मालिक को यह अधिकार दिया गया कि वह स्वयं निश्चित करें कि उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके सम्पत्ति का वारिस कौन होगा। यह सामान्य बुद्धि की बात है कि स्नेह के आधार पर यह निर्धारित किया जाता हे कि वसीयत उसके पक्ष में लिखा जाय जिसका जीवन उसके स्नेह का उद्देश्य रहा हो। सामन्यतया यह उपधारित किया जाता है कि जो मनुष्य संसार छोड़ने वाला है और अपने आराध्य (Creatar) के पास जाने वाला है। वह चाहता है कि अपनी सम्पूर्ण सम्पत्ति को अपने बच्चों एवं चहेतों को सौंप दे।

प्राचीन हिन्दू विधि के अन्तर्गत वसीयत का उल्लेख नहीं मिलता है। हिन्दू संयुक्त परिवार का नियम लागू था। किन्तु तदन्तर में विधि के विकास के साथ–साथ वसीयत को विधिक अधिकार प्रदान किया गया।[2]

वसीयत के आवश्यक तत्व

हल्सबरीज लॉ आफ इंग्लैझड के अनुसार, वसीयत एक विहित तरीके से की गई घोषणा है जिससे वसीयतकर्ता मृत्यु के उपरान्त अपनी सम्पत्ति को निस्तारित करने की इच्छा प्रकट करता है। वसीयत के निम्नलिखित महत्वपूर्ण तत्व होते हैं–

(1) एक विधिक घोषणा होनी चाहिए।
(2) ऐसी घोषणा वसीयतकर्ता की सम्पत्ति के सम्बन्ध में होनी चाहिए।
(3) घोषणा में यह आशय होना चाहिए कि यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् प्रभावी होगा।

किसी दस्तावेज को वसीयत के रूप में अभिधारित करने के पूर्व यह साबित होना आवश्यक है कि उसे उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 63 के उपबन्धानुसार अनुप्रमाणित एवं निष्पादित किया गया है। वसीयतकर्ता अपनी जिस सम्पत्ति का निस्तारण करना चाहता है वसीयत उसी के सन्दर्भ में होनी चाहिए। किन्तु यदि वसीयतकर्ता अपनी सम्पत्ति के निस्तारण का आशय प्रकट नहीं करता तो ऐसा दस्तावेज वसीयत नहीं का जा सकता।[3]

प्ररूप एवं भाषा

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अभिधारित किया है कि वसीयत का कोई विहित प्ररूप नहीं है। इसे किसी भी तरीके से निष्पादित किया जा सकता है। किन्तु इसके प्रभावी होने के लिए आवश्यक है कि इसका अनुप्रमाणन (attestation) एवं निष्पादन (execution) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार हुआ हो।

वसीयत के निष्पादित किए जाने के लिए किसी विहित विशेष भाषा का प्रयोग किया जाना आवश्यक नहीं है। वसीयत उत्तराधिकार के प्राकृतिक नियम के विपरीत होता है। इसका निष्पादन अधिनियम के उपबन्धों एवं विभिन्न न्यायालय के निर्णयों के अनुरूप साबित किया जाना आवश्यक होता है।[4]

एक मामले में वसीयतकर्ता ने अपनी सम्पत्ति का उल्लेख करते हुए लिखा था कि वह नही चाहता कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके गोद लिए (Adopted) लड़के एवं लड़की में कोई विवाद उत्पन्न हो इसलिए वसीयत निष्पादित कर रहा है। आगे उसने लिखा–

''मैं नही चाहता कि मेरी मृत्योपरान्त मेरे गोद लिए पुत्र एवं पुत्री सारजाबाई के मध्य कोई विवाद हो। मैं इस वसीयत को निम्नलिखित रूप में लिख रहा हूँ। इसी प्रकार से वे सम्पत्ति के अधिकारी होंगें। यदि मेरी पुत्री सारजाबाई बच्चे का जन्म देती है तो वह दी गई सम्पत्ति का वारिस होगा, किन्तु यदि मेरी पुत्री किसी शिशु को जन्म नहीं देती है तो मेरे परिवार का गोपीचन्द या उसके लड़के जो पैदा होंगे या जो कोई उसके उत्तराधिकारी होंगे सम्पत्ति के वारिस होंगे। यदि मेरे जवीन काल में मेरी दो में से किसी एक पत्नी को बच्चा पैदा हो जाता है

और वे अन्त तक जीवित रहते हैं तो वास्तविक पुत्र सम्पूर्ण सम्पत्ति के 12 आना हिस्से के स्वामी होंगे। सारजाबाई एवं गोद लिए पुत्र गोपीचन्द जो कि 4 आना हिस्से के स्वामी होंगे यदि मुझे बच्चा पैदा नहीं होता तो गोपी चन्द्र 16 आना हिस्से के स्वामी होंगे।''

इस वसीतय पत्र को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि वसीयतकर्ता अपने आशय को सुगमता से स्पष्ट नहीं कर सका है। किन्तु विधि द्वारा यह स्थापित नियम है कि न्यायालय को सम्पूर्ण वसीयत पढ़कर वसीयतकर्ता के वास्तविक आशय को समझने का प्रयास करना चाहिए। वसीयत का आशय यदि विधि–विरुद्ध नहीं होता तो उसकी यथासंभव पूर्ति की जानी चाहिए।

उपरोक्त वसीयत से स्पष्ट है कि वसीयतकर्ता ने अपनी पुत्री को उसके जीवन का से अधिक समय के लिए सम्पत्ति का अधिकारी नहीं बनाना चाहा है क्योंकि वसीयत की भाषा उसे पूर्ण स्वत्व दिए जाने के विरूद्ध है।[5]

वसीयत पत्र मे प्रयुक्त शब्दों के आधार पर निष्पादन के आशय का अनुमान लगाया जा सकता है।[6]

वसीयत के सिद्धांत

वसीयत के निष्पादन के सम्बन्ध में अनेक निर्णयों पर विश्वास करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धान्त प्रतिपादित किया–

(1) वसीयत निष्पादित किये जाते समय निष्पादक को स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए तथा उसके ऊपर कोई असम्यक् प्रभाव नहीं होना चाहिए।
(2) वसीयतकर्त्ता को सामान्यतया निष्पादन करते समय स्वस्थ वित्त का होना उपधारित किया जाता है।
(3) वसीयत को उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 68 के उपबन्ध में अनुरूप निष्पादित किया जाना चाहिए तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 68 के उपबन्ध के अनुरूप साबित किया जाना चाहिए।

वसीयत की सत्यता की जांच प्रोबेट कार्यवाही के अन्तर्गत की जा सकती है। सिविल प्रोसीजर कोड 108के आदेश 22 नियम 6 के अन्तर्गत वसीयत के आधार पर पक्षकार अभियोजित हो जाने मात्र से वसीयत सही नहीं ठहराया जा सकता।[7]

निष्पादक ने अपनी बहन के पक्ष में वसीयत निष्पादित किया। निष्पादक की पत्नी ने वसीयत को चुनौती दी। प्रश्न यह था कि क्या वह निष्पादक की विवाहिता पत्नी थी। अभिधारित किया गया कि वसीयत की सत्यता की जांच के समय यह प्रश्न असंगत था। प्रोबेट कार्यवाही में मात्र यह देखा जाता है कि वसीयत वैध है अथवा नहीं।[8]

वसीयत की साक्ष्यिक पुष्टि

वसीयत के साक्षियों के बयान को पूर्ण रूप में पढ़ा जाना चाहिए, टुकड़ों में नही।[9] यदि लाभार्थी एवं वसीयतकर्त्ता की आयु में काफी अन्तर नहीं है तो कोई अनौचित्यपूर्ण अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए।[10] वसीयत में हाशिये के गवाहों का साक्ष्यिक महत्वमात्र इस आधार पर समाप्त नहीं हो जाता कि वे सगे सम्बन्धी है।[11] किसी वसीयत को मात्र इसी आधार पर अवैध नहीं घोषित किया जा सकता कि उससे संशयात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है।[12]

निष्पादक का आशय

वसीयत पत्र में प्रयुक्त शब्दों के आधार पर निष्पादन के आशय का अनुमान लगाया जा सकता है।[13] जहाँ वसीयतकर्ता अपने वसीयत में कहती है कि वह अपनीसम्पूर्ण सम्पत्ति का पुत्र के पुत्र को बराबर हिस्सों में वसीयत करती है, यहाँ यह उपधारित किया जायेगा कि वह अपने सम्पूर्ण सम्पत्ति को नाती, पोता, प्रपौत्र को बराबर–बराबर देना चाहती है।[13]

सम्यक् अधिकार आवश्यक

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 30 एक हिन्दू को वसीयत द्वारा सम्पूर्ण सम्पत्ति के निस्तारण (dispose of) करने की शक्ति प्रदान करती है। यह धारा वसीयत करने में काई प्रतिबन्ध नहीं लगासी। किन्तु इतना अवश्य है कि वसीयकर्ता वसीयत की जाने वाली सम्पत्ति पर सम्यक, अधिकार रखता हो।[15]

अनुप्रमाणक की मृत्यु

एक वसीयत में दो साक्षियों ने अनुप्रमाणित किया था। उनमें से एक साक्षी की मृत्यु हो गई। दूसरे साक्षी ने अभिकथित किया कि उसने वसीयत विलेख पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा साक्षी चिकित्सक था। उसने यह भी अभिकथित किया कि वसीयतकर्त्ता का मानसिक सन्तुलन ठीक था। वह शारीरिक रूप से भी वसीयत करने में सक्षम था। साक्षी अनुप्रमाणन का तात्पर्य समझने में पूर्ण समर्थ था और उसने स्वीकार किया था कि हस्ताक्षर उसके द्वारा किया गया था। अभिधारित किया गया कि वसीयत विधि की दृष्टि में वैध था।[16]

वसीयत जहाँ रजिस्ट्रीकृत नहीं है

एक मामले में वसीयत रजिस्ट्री शूदा नहीं थी। वसीयत विलेख में दो स्थान पर मृतक वसीयकर्ता के अंगूठे के निशान लगे थे। एक–एक स्थान पर गवाहों के भी अंगूठे के निशान लगे थे। अवलोकन से स्पष्ट होता था कि जहाँ गवाहान के अंगूठा निशान स्पष्ट हैं एवं वसीयत–कर्त्ता के दोनों निशान अंगूठे बहुत गहरी स्याही से लगे हुए हैं, और संभवतः एक–एक अंगूठे पर दूसरा अंगूठा लगाया गया है, ऐसा प्रतीत होता था। हाशिये पर मृतक का निशान अंगूठा नीली स्याही से लगा था और कागज के नीचे लगा निशान अंगूठा वसीयतकर्त्ता दूसरी काली स्याही से लिखा था। वसीयत न तो टाइपशुदा था और न ही स्टाम्प पेपर पर। गवाहों ने वसीयत को रजिस्ट्रीशुदा एवं टाइपशुदा बताया था। अभिधारित कियाग या कि ऐसी स्थिति में उचित ही वसीयत को नहीं माना था।[17]

वसीयत का वैधता

जहाँ प्रोवेट अथवा प्रबन्ध–तत्व न्यायालय ने जारी कर दिया है वहाँ चकबन्दी अधिकारी वसीयत की वैधता पर विचार नहीं कर सकता।[18] वसीयत पत्र के निष्पादन के एक मामले में अनुप्रमाणक साक्षियों ने उप निबन्धक के समक्ष वसीयत पत्र पर हस्ताक्षर किए थे एवं वसीयत के निष्पादन तक उनके समक्ष उपस्थित रहे। उनके समक्ष निष्पादक ने भी हस्ताक्षर किया था।

अभिधारित किया गया कि वसीयत पूर्णतया निष्पादित एवं अनुप्रमाणित थी।[19]

वसीयत निष्पादक की मृत्यु के बाद ही प्रभावी

राम औतार सिंह बनाम सुन्दरी कौर, ए0 आई0 आर0 1959 पटना 585, 1959 बिहार लॉ जर्नल 505, में पटना उच्च न्यायालय ने अभिधारित किया है कि वसीयत का अस्तित्व तभी तक रहता है जब तक वह प्रतिसंहृत न कर लिया जाय। अर्थात् यदि वसीयत प्रतिसंहृत नहीं किया गया तो यह वसीयतकर्त्ता की मृत्यु की तिथि से प्रभावी हो जायेगी।

स्लेचर बनाम फ्लेचर, (1844) 4 हेयर 67, में अभिधारित किया गया है कि यदि वसीयत द्वारा किसी व्यक्ति को वसीयकर्त्ता के जीवन काल में ही उसकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी बना देता है तो वह विलेख वसीयत नहीं कहा जा सकेगा।

वसीयतनामा

मन कि मासुमात.....बीबी बेवा स्व0.....ग्राम.....ताल्लुका..... .....परगना व तहसील.....जिला..... ....की हूँ। तथा भारत की नागरिक हूँ।

जो कि मिन मुकिरा की उम्र लगभग..... वर्ष की है तथा मैं एक वृद्ध महिला हूँ और अक्सर बीमार रहती हूँ शरीर भी काफी जीर्ण–शीर्ण हो गया है। अब जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है कब मौत आ जाये इसलिए मैं अपनी सम्पत्ति, चल व अचल, का इन्तजाम अपने जीवन काल में ही कर देना चाहती हूँ ताकि मेरे मरने के बाद मेरी सम्पत्ति किसी प्रकार किसी विवाद में नष्ट न होवे। मेरे कोई लड़का नहीं है केवल एक पुत्री श्रीमती.....पत्नी.....साकिन..... .....तालुका.....परगना व तहसील..... .....जिला.....है, जो कि मेरे साथ ही रहती है और मेरी हर तरह से खिदमत व सेवा करती है और मेरी सम्पत्ति व घर आदि की देख–भाल करती है और मेरी देख–भाल में हर समय लगी रहती है और मुझे भी किसी प्रकार की तकलीफ होने का एहसास नहीं होने देती है। मैं अपनी उक्त पुत्री श्रीमती.....की सेवा व देख–भाल से बहुत खुश हूँ और मेरा अपनी उक्त पुत्री से व्यक्तिगत लगाव भी है। इसिलए मैं अपनी स्वेच्छा से बिना किसी के बहकाये व धमकाये तथा अपने पूर्ण स्वास्थ्य की दशा में व स्वस्थ मस्तिष्क की अवस्था में अपनी तमाम चल व अचल सम्पत्ति का वसीयत अपनी पुत्री श्रीमती.....पत्नी श्री .....साकिन ....तालुका.....परगना व तहसील..... .....जिला.....के हक में करती हूँ।

(1) यह कि मैं जब तक जीवित रहूँगी मैं अपनी सभी चल व अचल सम्पत्ति की मालिक व काबिज स्वयं रहूंगी।
(2) यह कि मेरे मरने के बाद मेरी सम्पत्ति चल व अचल व आराजी की एकमात्र मालिक व काबिज मेरी पुत्री उपरोक्त श्रीमती.....पत्नी श्री..... साकिन.....परगना व तहसील..... ...जिला.....होगी।
(3) यह कि यह मेरी अन्तिम व पहली वसीयत है। इसके पहले मैंने कोई वसीयत नहीं तहरीर की है।

टाइपकर्ता.....
अहाता दीवानी कचहरी.....
मसविदाकर्त्ता.....
साक्षीगण (1) .....
हस्ताक्षर वसीयतकर्त्ता.....
(2) .....
दिनांक.....ई0
स्थानः.....

वसीयतनामा

मन कि श्रीमती.....पत्नी श्री.. .....निवासी..... शहर.....की हूँ।

जो कि मेरे पति सरकारी मुलाजिम है। मैने अपनी स्त्री–धन से, जो मुझे अपने मायके व पति से मिला, प्लाट खरीदकर मकान बनवाया जिसका म्युनिसिपल नम्बर .....है।

मैंने व मेरे पति ने कुमारी.....को अपने पुत्री की तरह पाला व पढ़ाया–लिखाया और हर जगह बातौर पुत्री प्रदर्शित किया। उससे मुझे बहुत स्नेह है। हमारे कोई सन्तान नहीं है और न होने की आशा है।

मैंने.....की शादी भी श्री..... .....के साथ कर दिया। मेरी इच्छा है कि अपने जीवन में लिखा–पढ़ी कर दूं ताकि मेरे मरने पर कोई व्यक्ति किसी भांति का व्यवधान न उत्पन्न करे। इसलिये मैं अपनी राजी व खुशी से, बिना किसी जोर व दबाव के बिना किसी के धमकाये व बहकाये स्वस्थ चित्त से निम्नलिखित वसीयत करती हूँ–

(1) यह कि जब तक मैं जिन्दा रहूंगी अपनी कुल चल व अचल सम्पत्ति की मालकिन रहूंगी।
(2) यह कि मेरे मरने पर मेरी कुल चल सम्पत्ति तथा मकान न0.....शहर.....की मालिक.....पत्नी.....निवासी..... .....शहर.....पूर्ण रूप से होगी।
(3) यह कि मेरी प्रथम व आखिरी वसीयत है। यदि कोई दूसरी वसीयत पायी जावे तो इस तहरीर के मुकाबले में रद् व मन्सूख समझी जावे।
(4) यह कि इस वसीयत नामा को रजिस्टरी करा रही हूँ ताकि कोई व्यक्ति यदि अन्य प्रकार की तहरीर पेश करे तो वह नाजायज हो।

इस वास्ते यह वसीयत नामा लिख दिया कि सनद रहे और समय घर काम आवे।

टाइपकर्ता.....
अहाता दीवानी कचहरी.....
मसविदाकर्त्ता.....
साक्षीगण (1) .....
हस्ताक्षर वसीयतकर्त्ता.....
(2) .....
दिनांक.....ई0
स्थानः.....

निष्कर्ष

वर्तमान में वसीयत का औचित्य उद्देश्य, विधिक प्रक्रिया, वसीयत के आवश्यक तत्व, प्रारूप एवं भाषा, और

इसके विभिन्न सिद्धान्तों पर प्रकाश, जन साधारण के लिए विधिक ज्ञानवर्धक होगा''

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

1. *काली चरन गुप्ता बनाम प्राग देवी 1975 लॉ रिपोर्टस 349 खण्ड पीठ*
2. *भाग्यवती जैन बनाम पब्लिक जनरल ए0 आई0 आर0 1995 पंजाब एवं हरियाणा 201 बी0 अइंगर बनाम बी0एन0 धियाजम्मा ए0 आई0 आर0 1959 एस0 सी0 443*
3. *उपर्युक्त*
4. *भूरा बनाम काशी राम 1994 सी0 आर0 सी0 393 एस0सी0*
5. *बन्दोपन्त सीता राम वपत बनाम शंकर सीताराम बचत ए0 आइ0 आर0 1996 बम्बई 56*
6. *श्रीमती ए0बी0 सर्वे बनाम लाल साहब सर्वे ए0 आई0आर0 1996 ए0सी0 75*
7. *श्रीमती सूरज देवी बनाम सीता देवी ए0आई0 आर0 1996 राज0 6 (सी0पी0)*
8. *माली बनाम रूमाली 1992 आर0 डी0 52 वी0डी0 (इलाहाबाद)*
9. *यथा उपर्युक्त*
10. *सुनील बनाम राम रतन 1994 आर0 डी0 101 पी0आर0 (इलाहाबाद)*
11. *जय करन सिंह बनाम डी0पी0सी0 मेरठ 1993 आर0 डी0 105 (इलाहाबाद)*
12. *बन्दोबस्त सीताराम बपत बनाम शंकर सीता राम बपत ए0आई0आर0 1996 बम्बई 66*
13. *वीरत लिंगम बनाम रमेश 1992 आर0डी0 184 (एस0 सी0)*
14. *कृष्ण राव बनाम एस0वी0 सत्यवती (1968) 2 एस0सी0 आर0 395, राम चन्द्र सिन्तेई बनाम आर0 ब्रिरे (1969) 2 एस0 सी0 आर0 722*
15. *श्रीमती गुम्फा बनाम जयबाई 1994 (2) सी0आर0सी0 723*
16. *एस0डी0 पेन बनाम एडमिनिस्टेटर यू0पी0 (1994) सी0 आर0डी0 832 ए0 आई0आर0 1955 एसी0 सी0 361*
17. *इरफान अली बनाम शराफत अली 1990 आर0 डी0 27 (बी0आर0) लखनऊ।*
18. *राम मूरत सिंह बनाम डी0डी0सी0 मिरजापुर 1989 आर0 डी0 इलाहाबाद।*
19. *श्रीमती सुदर्शन कौर बनाम रिपुदमन सिंह ए0 आई0 आर0 1996 राज0 62*